बिहार राज्य खादी ग्रामोद्योग बोर्ड,
<u>महेश भवन, गांधी मैदान(पूरब), पटना-4</u>

निविदा आमंत्रण सूचना

बिहार राज्य अवस्थित खादी और ग्रामोद्योग संस्था/समितियों के पुर्नरूद्धार योजना के अन्तर्गत खादी संस्था/समितियों को उन्नत चरखा-3892, करघा एवं ड्रम (पैडल ऑपरेटेड लूम)-2246 एवं उलेन निटिंग मशीन 80 नग उपलब्ध करवाने के लिए दर निर्धारण हेतु दिनांक - 19.01.2016 के 2:00 बजे तक अल्पकालिन निविदा आमंत्रित किया जाता है एवं उसी दिन 3:00 बजे अपराहन् में निविदा खोली जायेगी।

विज्ञापन दाता का नाम एवं पता-	बिहार राज्य खादी ग्रामोद्योग बोर्ड, महेश भवन पूर्वी गॉधी मैदान, पटना-800004
अग्रधन की राशि-	25,000.00 रूपये का ड्राफ्ट बिहार स्टेट खादी एण्ड भिलेज इण्डस्ट्रीज बोर्ड, पटना के पक्ष में देना होगा।

<u>Specification एवं शर्त्तें</u>

<u>1. उन्नत चरखा-</u> (i) आठ तकुए का चरखा (ii) बॉडी आयरण एवं स्टील का होगा। (iii) चरखा के स्पीनिंग कैपेसिटी 30 हजार मीटर (30 गून्डी) न्यूनतम प्रतिदिन 8 घंटे में होनी चाहिए।

<u>2. उन्नत चर्खा मल्टी काउन्ट</u>- (i) जिससे सुती, रेशमी, ऊनी एवं पॉली सूत की कताई किया जा सके।
(ii) कंडिका 1 में दिये गये शेष अन्य शर्तें लागू होगी।

<u>3. उन्नत सिल्क चर्खा-</u>
एक तकुए या उससे अधिक तकुए का जिसपर सिल्क का 30-60 अंक का रेशमी सूत का कताई किया जा सके।

<u>4. उन्नत करघा ड्रम के साथ-</u>
(i) पैडल ऑपरेटेड लूम (ii) बॉडी स्टील/कास्ट आयरण का बना
(iii) करघा गेयर पद्धति से बना हुआ (iv) करघा का अरज 45 इंच एवं 56-62 इंच का
(v) अरज के हिसाब से करघा का कीमत ड्रम के साथ देना आवश्यक होगा।

कंडिका 1,2,3 एवं 4 का उत्पादन तथा Specification खादी और ग्रामोद्योग आयोग द्वारा प्रमाणित होना आवश्यक है, इससे संबंधित प्रमाण-पत्र निविदा के साथ देना होगा।

5. उलेन निटिंग मशीन- उलेन निटिंग मशीन 8 से 12 गेज तक का होना चाहिए, जिसमें 30-40 अंक तक की बुनाई किया जा सके।

6. संवेदक को तकनिकी निविदा (Technical Bid) एवं वित्तीय निविदा (Financial Bid) अलग-अलग लिफाफे में देना होगा।

7. तकनिकी रूप से योग्य पाये जाने वाले संवेदकों का ही वित्तीय निविदा (Financial Bid) खोला जायेगा।

8. निर्धारित समय के बाद निविदा स्वीकार नहीं किये जायेगें।

कृ0पृ0उ0

9. संवेदक को वैट एवं इन्कम टैक्स रिटर्न की अध्यतन कॉपी निविदा के साथ संलग्न कर देना आवश्यक होगा। जिन वस्तुओं का उत्पादन एवं बिक्री में वैट नहीं लगता है, उसपर वैट रिर्टन आवश्यक नहीं है।

10. संवेदक को उन्नत चरखा, करघा ड्रम, सहित एवं उलेन निटिंग मशीन के उत्पादन एवं बिक्री का गत तीन वर्षो का अनुभव व्योरा एवं टर्नओवर निविदा के साथ देना होगा।

11. सामग्री के कीमत लगने वाले वैट अलग-अगल कर कुल कीमत का उल्लेख करना होगा।

12. आपूर्तिकत्ता को उन्नत चर्खा, करघा ड्रम सहित तथा उलेन निटिंग मशीन के तकनिक एवं उपयोग कैसे लाये जाने की जानकारी लाभार्थियों को देना होगा।

13. बिहार राज्य खादी ग्रामोद्योग बोर्ड, पटना द्वारा उन्नत चर्खा, उन्नत करघा ड्रम सहित तथा उलेन निटिंग मशीन 3 फेज में किया जायेगा एवं आवश्यकतानुसार आपूर्ति आदेश दिया जायेगा।

14. आपूर्तिकत्ता को बिहार पटना एवं अन्य प्रमण्डलीय मुख्यालय जैसे भागलपुर, गया, दरभंगा एवं मुजफ्फरपुर में क्रय की जाने वाली सामग्रियों को उपलब्ध करना होगा। इसके लिए अलग से परिवहन व्यय देय नहीं होगा।

15. बोर्ड के आदेश निर्गत करने के उपरान्त 15 दिनों में सामग्रियों की आपूर्त्ति सुनिश्चित करना आवश्यक होगा।

16. बिहार राज्य खादी ग्राम उद्योग बोर्ड को बिना कारण बताये निविदा रद्द करने का अधिकार सुरक्षित रहेगा।

निविदा आमंत्रण सूचना www.Industries.nic.in एवं www.kvibbihar.com पर देखा जा सकता है।

28/12/15

मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी
बिहार राज्य खादी ग्रामोद्योग बोर्ड,
पटना